



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

E-Mail ID: seprd1235@gmail.com

क्रमांक:एफ.4()परावि/आप्र/RGSA Allotment/2018-19/705 जयपुर, दिनांक:27/12/2019

:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश ::

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत प्राप्त एवं वर्ष 2019-20 के तहत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित गतिविधियों के उपयोग हेतु विभाग के बचत बैंक खाता संख्या 4110000100130461 में राशि 3643.30 मे से निम्न कार्यकारी संस्थाओं को संलग्न सूची के अनुसार राशि हस्तान्तरित करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्यकारी संस्था	हस्तान्तरित राशि लाखों में
1.	अनुसूचित जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर	1439.12
2.	इन्दिरा गाँधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जयपुर।	79.23
	योग	1518.35

अक्षरे पन्द्रह करोड अठारह लाख पैतीस हजार मात्र।

(डॉ० आरुषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अनुसूचित जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर उपरोक्तानुसार गतिविधियों को शीघ्र क्रियान्वित कराये जाने की कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त अनुसूचित जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर विभागीय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा मालवीय नगर जयपुर में संधारित बचत बैंक खाता संख्या 4110000100130461 में से संलग्न सूची के अनुसार कार्यकारी संस्थाओं को राशि हस्तान्तरण करने की व्यवस्था करावें।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
10. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त स्वीकृति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
11. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता (प्रो०)